न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
01/2022	2022/14	04.01.2022	12.05.2022

उनवान प्रकरण

शाला प्रबन्ध समिति राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोठावाली (फुटाला) पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान जरिये संरक्षक/अध्यक्ष बाबूलाल पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी गोठा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

–वादी

बनाम्

1. आंची देवी पत्नी स्व. गणपतराम आयु 70 वर्ष
2. कैलाश पुत्र लिछमण आयु 35 वर्ष
3. झूमा देवी पुत्री औंकार पौत्री काना आयु 45 वर्ष
4. श्रवणी देवी पुत्री औंकार पौत्री काना आयु 40 वर्ष
5. अमरी पत्नी औंकार आयु 70 वर्ष
6. नन्दाराम पुत्र कानाराम आयु 72 वर्ष
7. श्योकोरी पुत्री कानाराम आयु 70 वर्ष
8. महेन्द्र पुत्र नानगराम पौत्र काना आयु 20 वर्ष
9. संतरा पुत्री नानगराम पौत्री काना आयु 30 वर्ष
10. मिन्टू पुत्री नानगराम पौत्री काना आयु 22 वर्ष
11. माया पुत्री नानगराम पौत्री काना आयु 40
12. नन्छी देवी पत्नी नानगराम आयु 65
13. संतरा पुत्री स्व. हीरा पौत्री काना आयु 30 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.27 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

14. मन्ना पुत्री स्व. हीरा पौत्री काना आयु 28 वर्ष
15. सुमन पुत्री स्व. हीरा पौत्री काना आयु 25 वर्ष
16. झाबर पुत्र कालू आयु 28 वर्ष
17. सुमित्रा पुत्री कालू आयु 35 वर्ष
18. मिन्टू पुत्री कालू आयु 25 वर्ष
19. भागली पुत्री कालू आयु 22 वर्ष
20. गीता देवी पत्नी कालू आयु 60 वर्ष
21. कोयली देवी पुत्री गणपतराम आयु 35 वर्ष
22. गंगूराम पुत्र हरनाथ आयु 62 वर्ष
23. सुगलचन्द पुत्र भूरा पौत्र नेता आयु 62 वर्ष
24. भजनलाल पुत्र भूरा पौत्र नेता आयु 55 वर्ष
25. लाडा देवी पुत्री भूरा आयु 70 वर्ष
26. हरिकिशन पुत्र छीतरमल आयु 55 वर्ष
27. झाबरमल पुत्र छीतरमल आयु 52 वर्ष
28. गिरधारी पुत्र छीतरमल आयु 50 वर्ष
29. मीरा पुत्री छीतरमल आयु 35 वर्ष
30. मन्नी देवी पुत्री छीतरमल आयु 40 वर्ष
31. माली पुत्री छीतरमल आयु 45 वर्ष
32. चौथू पुत्र गोरू पौत्र नाथू आयु 75 वर्ष
33. झाबर पुत्र नारायण पौत्र नाथू आयु 40 वर्ष
34. मुरली पुत्र नारायण पौत्र नाथू आयु 55 वर्ष
35. राजू पुत्र नारायण पौत्र नाथू आयु 38 वर्ष
36. झमरी पुत्री नारायण पौत्री नाथू आयु [illegible] वर्ष
37. मन्नी पुत्री नारायण पौत्री नाथू आयु [illegible] वर्ष
38. सागरमल पुत्र घीसाराम पौत्र नाथू आयु [illegible] वर्ष
39. श्योजीराम पुत्र घीसाराम पौत्र नाथू आयु [illegible] वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.27 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

40. घोठी देवी पत्नी घीसाराम आयु 80 वर्ष
41. माली देवी पुत्री घीसाराम पौत्री नाथू आयु 55 वर्ष
42. गीता देवी पुत्री घीसाराम पौत्री नाथू आयु 42 वर्ष
43. भगवानसहाय पुत्र छीतरमल आयु 60 वर्ष
44. कालूराम पुत्र छीतरमल आयु 58 वर्ष
45. बनवारीलाल पुत्र छीतरमल आयु 55 वर्ष
46. ब्रदीप्रसाद पुत्र छीतरमल आयु 52 वर्ष
47. सुन्दर पुत्र छीतरमल आयु 50 वर्ष
48. घोठी देवी पत्नी छीतरमल आयु 80 वर्ष
49. पतासी पुत्री गोपाल आयु 70 वर्ष
50. प्रभाती पुत्री हरनाथ आयु 60वर्ष
51. प्रभाती पुत्री बालूराम आयु 65 वर्ष
52. फूलाराम पुत्र गणपत आयु 50 वर्ष
53. बनवारीलाल पुत्र हरनाथ आयु 50 वर्ष
54. भैरूराम पुत्र पोखर पौत्र बालू आयु 65 वर्ष
55. मदनलाल पुत्र पोखर पौत्र बालू आयु 60 वर्ष
56. भागू पुत्र पोखर पौत्र बालू आयु 55 वर्ष
57. बोदी देवी पुत्री पोखर पौत्री बालू आयु 60 वर्ष
58. दयाल पुत्र साधू पौत्र बालू आयु 60 वर्ष
59. कैलाश पुत्र गोविन्द पौत्र साधू आयु 45 वर्ष
60. भंवर पुत्र गोविन्द पौत्र साधू आयु 42 वर्ष
61. मुकेश पुत्र गोविन्द पौत्र साधू आयु 40 वर्ष
62. अर्जुन पुत्र गोविन्द पौत्र साधू आयु 38 वर्ष
63. रामरतन पुत्र गोविन्द पौत्र साधू आयु [illegible] वर्ष
64. सुरजी देवी पत्नी गोविन्द आयु 65 वर्ष
65. मसभरी पुत्री साधू आयु 58 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.27 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

66. अणची देवी पुत्री साधू आयु 56 वर्ष

67. मोहरी पुत्री साधू आयु 54 वर्ष

68. मन्नी पुत्री साधू आयु 50 वर्ष

69. सजना पुत्री साधू आयु 48 वर्ष

70. घीसाराम पुत्र महादेव आयु 80 वर्ष

71. कजौड़ पुत्र हुक्मा पौत्र महादेव आयु 65 वर्ष

72. रोशनी पुत्री जगन्नाथ पौत्री महादेव आयु 45 वर्ष

73. प्रेम पुत्री जगन्नाथ पौत्री महादेव आयु 40 वर्ष

74. कालू पुत्र नारायण पौत्र महादेव आयु 40 वर्ष

75. शंकर पुत्र नारायण पौत्र महादेव आयु 35 वर्ष

76. माया पुत्री नारायण पौत्री महादेव आयु 50 वर्ष

77. मलकू पुत्री नारायण पौत्री महादेव आयु 48 वर्ष

78. आंची पुत्री नारायण पौत्री महादेव आयु 40 वर्ष

79. श्रवणी देवी पत्नी नारायण आयु 65 वर्ष

80. ग्यारसी पत्नी जगदीश पुत्रवधू महादेव आयु 63 वर्ष

81. हरदेव पुत्र गंगूराम आयु 65 वर्ष

82. हरसहाय पुत्र गंगूराम आयु 62 वर्ष

83. सुरजाराम पुत्र गंगूराम आयु 60 वर्ष

84. बनवारी पुत्र गंगूराम आयु 40 वर्ष

85. मोहनी देवी पुत्री गंगूराम आयु 58 वर्ष

86. मांगी देवी पत्नी गंगूराम आयु 90 वर्ष

87. भगवानसहाय पुत्र देबूराम आयु 50 वर्ष

88. भोमाराम पुत्र गणपत आयु 55 वर्ष

89. सरदार पुत्र मूंगा आयु 50 वर्ष

90. भगवानसहाय पुत्र मूंगा आयु 55 वर्ष

91. प्रेम पुत्री मूंगा आयु 40 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.27 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

92. बिदामी पुत्री मूंगा आयु 35 वर्ष

93. रूघनाथ पुत्र गणपतराम आयु 38 वर्ष

94. रामनारायण पुत्र देबूराम आयु 35 वर्ष

95. शंकरलाल पुत्र गणपतराम आयु 30 वर्ष

96. शैतान सिंह पुत्र गुल्लाराम आयु 40 वर्ष

97. श्रवण पुत्र रामदेव आयु 65 वर्ष

98. सुरेश कुमार पुत्र गणपतराम आयु 30 वर्ष

99. सुन्दरी पत्नी स्व. हणमान आयु 65 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी गोठा तन् ग्राम खुरमपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

100. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 99,

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 100की ओर से

<u>वादपत्र बाबत उद्घोषणा अंतर्गत धारा 88</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 4645 रकबा 1.35 हैक्टर तन् ग्राम खुरमपुरा पटवार हल्का [illegible] तहसील श्री[illegible]धोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी[illegible] एवं उनके [illegible] के नाम दर्ज हिस्सा जमाबन्दी अनुसार है। उक्त वर्णित भूमि में से 0.86 हैक्टर भू[illegible]क्षिणी तरफ की पर स्कूल भवन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.27 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

चार दीवारी करीब 40 वर्षो से बनी हुयी हैं व उसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोठावाली तन् ग्राम खुरमपुरा ग्राम पंचायत फुटाला पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के 15 कमरे मय शौचालय व बाथरूम, पानी की टंकी बने हुये है व एक कमरे में आंगनबाड़ी भी संचालित है। उक्त वर्णित भूमि में स्कूल संस्था का कब्जा लगातार पिछले 40 वर्षो से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण एंव इनके बुजुर्गान का कोई कब्जा पिछले 40 वर्षो से नही रहा है, ना ही वर्तमान में है। इस प्रकार स्कूल संस्था का उक्त भूमि पर खातेदरी दर्ज कराने का विधिक अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुका है। वादी संस्था उक्त भूमियो पर काबिज होने के कारण उक्त भूमियों खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने ग कानूनन अधिकारी है, लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादी संस्थ के नाम नहीं होने के कारण वादी संस्थ को सख्त हकतल्फी हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक व अन्य सहायताओ का लाभ भी संस्था को नही मिल रहा है। इस कारण संस्था के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी संस्था ने प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प फुटाला में खातेदारो की तरफ से सहमति प्रदान कर खाता स्कूल के नाम करवाने का निवेदन भी किया था परन्तु कानूनी प्रकिया पूरी नही होने की वजह से खातेदारी दर्ज नही होने के कारण वादकारण उत्पन्न होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वकील वादी ने दावा पेश कर हक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश कर उद्घोषणा फरमायी जाने का निवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 4645 रकबा 1.35 हैक्टर तन् ग्राम खुरमपुरा पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में से 0.86 हैक्टर दक्षिणी तरफ का स्कूल संस्था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोठावाली (फुटाला) पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के नाम खातेदारी अंकित की जाकर उक्त रकबा 0.86 हैक्टर दक्षिणी तरफ का अलग से बट्टा नम्बर डालकर अलग से खातेदारी अंकित की जाकर प्रतिवादीगण व मृत्तक खातेदार काना पुत्र चूना, कालूराम पुत्र बालू, नेता पुत्र दोला, नाथू पुत्र नानू, बालू पुत्र शम्भू, मूंगा पुत्र रामदेव, सुणीदेवी पत्नी बालूराम, हण[illegible] का नाम उक्त भूमि के रकबे से राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावें। इस[illegible] उक्त वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.27 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने का आदेश दिया गया। जिस पर प्रतिवादीगण नं. 1 ता 99 ने उपस्थित होकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में इकबाली जवाब दावा न्यायालय में पेश किया है तथा प्रतिवादी सं. 100 की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी बाबूलाल का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुआ। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1045/एल.आर./22 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्रेषित की है। प्रकरण में वकील वादी ने प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के पक्ष में सहमति प्रदान करते हुए इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने व भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4645 कुल रकबा 1.35 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम खुर्रमपुरा पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण एंव उनके बुजुर्गान के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से 0.86 हैक्टर दक्षिणी तरफ की भूमि पर स्कूल भवन की चारदिवारी बनी होकर राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय गोठावाली तन् खुर्रमपुरा के 15 कमरे मय शौचालय व बाथरूम, पानी की टंकी बनी होकर एक कमरे में आंगनबाडी केन्द्र संचालित होना प्रकट होता है। जिसके लिए पक्षकारान् ने उक्त भूमि बाबत व... में इकबाली जवाब दावा भी प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किये ... भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से ली गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट में भी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने मुताबिक पटवारी हल्का फुटाला की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बरान् में से भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.27 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खसरा नम्बर 4645 रकबा 1.35 हैक्टर में से 0.8580 हैक्टर भूमि में विधालय का भवन 40 वर्ष से संचालित होकर जॉच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में स्कूल के भवन एंव विधालय का कब्जा होना दर्शित किया है। जिससे भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट के व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी के कब्जे काश्त में स्थित भूमि की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 4645 कुल रकबा 1.3500 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम खुर्रमपुरा पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से 0.86 हैक्टर दक्षिणी तरफ का स्कूल संस्था राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय गोठावाली (फुटाला) पं.स. श्रीमाधोपुर के नाम खातेदारी अंकित की जाकर उक्त रकबा 0.86 हैक्टर दक्षिणी तरफ का अलग से बट्टा नम्बर डालकर अलग से खातेदारी दर्ज की जाकर उक्त रकबे से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् उद्घोषणा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 4645 कुल रकबा 1.3500 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम खुर्रमपुरा पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से 0.86 हैक्टर दक्षिणी तरफ का स्कूल संस्था राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय गोठावाली (फुटाला) पं.स. श्रीमाधोपुर के नाम खातेदारी अंकित की जाकर उक्त रकबा 0.86 हैक्टर दक्षिणी तरफ का अलग से बट्टा [illegible] डालकर अलग से खातेदारी दर्ज की जाकर उक्त रकबे से प्रतिवादीगण व मृतक [illegible] काना [illegible] बालूराम पुत्र बालू, नेता पुत्र दोला, [illegible] पत्नी बालूराम, हणमान पुत्र नाथू पुत्र नानू, बालू पुत्र शम्भू, [illegible] पुत्र [illegible] हरनाथ का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.27 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.27 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested